

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का निम्नानुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं स्वयं के आवेदन पत्र के आधार पर 'असाधारण/अवैतनिक अवकाश' राजस्थान सेवा नियम 96(क) के अनुसार एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	अवकाश का प्रकार	लिये गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या
1.	सोनू मीणा, राबाउमावि देवी जी की गली, अलवर	भौतिक	असाधारण	10.11.2017 से 08.05.2018 तक	180 दिन

यदि उपरोक्त कार्मिक का इस अवधि का वेतन आहरण हो गया हो तो संबंधित संस्था प्रधान समायोजन करें।



(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 10/01/19

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौतिक/अवकाश/2014

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपशासन सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संबंधित संभाग ।
3. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक अलवर ।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्या राबाउमावि देवी जी की गली, अलवर ।
5. सम्बन्धित कार्मिक सोनू मीणा, राबाउमावि देवी जी की गली, अलवर ।
6. कम्प्यूटर एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर